उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-10/101/30-3-15-20बी/2013

लखनऊ, दिनॉक 16 जनवरी, 2015

संशोधन/शुद्धि-पत्र

सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हाथरस व औरैया में व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जॉच हेतु निरीक्षण कक्ष व फिटनेस पिट के निर्माण के लिये शासनादेश संख्या-02/3312/30-3-2014/20बी/2013, दिनॉक 02 जनवरी, 2015 द्वारा कुल धनराशि रू0 32.76 लाख (रू0 बत्तीस लाख छियत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश में टंकण त्रुटिवश धनराशि रू0 32.755 के स्थान पर धनराशि रू0 32.76 लाख (रू0 बत्तीस लाख छियत्तर हजार मात्र) का उल्लेख हो गया है, जिसे धनराशि रू0 32.755 लाख (रू0 बत्तीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ मात्र) पढ़ा जाए। तदनुसार शासनादेश संख्या-02/3312/30-3-2014/20बी/2013, दिनॉक 02 जनवरी, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

ह0

नर्वेद सिंह,

संयुक्त सचिव।

संख्या-10/101(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हाथरस तथा औरैया द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in